जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नजीबाबाद **दिनांक – 19.06.2024**

थाना नजीबाबाद क्षेत्रान्तर्गत गढमलपुर फ्लाईओवर के नीचे बेहोशी की हालत में मिले तहेरे देवर - भाभी की मृत्यु हो जाने व स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही वैधानिक कार्यवाही के संबंध में।

अवगत कराना है कि आज दिनांक 19.06.2024 को शाम 16.00 बजे थाना नजीबाबाद क्षेत्रान्तर्गत गढमलपुर फ्लाईओवर के नीचे 01 महिला व 01 पुरुष के बेहोश मिलने की सूचना थाना नजीबाबाद पुलिस को प्राप्त हुई। प्राप्त सूचना पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तथा दोनो को उपचार हेतु सीएचसी समीपुर में भेजा गया, जहां से उन्हे जिला अस्पताल बिजनौर के लिये रेफर किया गया। बिजनौर ले जाते समय रास्ते में दोनो की मृत्यु हो गयी।

स्थानीय पुलिस द्वारा की गई प्रारम्भिक जांच में यह तथ्य प्रकाश में आये है कि महिला व पुरुष दोनो तहेरे देवर- भाभी है , जोकि 01 माह पूर्व घर से बिना बताये चले गये थे। प्रथम दृष्टया जहरीला पदार्थ खाने से मृत्यु होना प्रतीत हो रहा है। स्थानीय पुलिस द्वारा शवों को पंचायतनामा की कार्यवाही के उपरान्त पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेजा गया है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नगीना दिनांक – 19.06.2024

थाना नगीना पर पंजीकृत मु0अ0सं0 175/24 धारा 366 भादवि के संबंध में।

कार्यवाही का विवरण

दिनांक 12.06.2024 को थाना नगीना पर वादी ने तहरीर देकर अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध उसकी पुत्री उम्र करीब 19 वर्ष को बहला फुसलाकर ले जाने के संबंध मे मु0अ0सं0 175/2024 धारा 366 भा0दं0वि0 पंजीकृत कराया गया।

आज दिनांक 19.06.2024 को अपहृता अपने दादा जी के साथ थाना नगीना पर उपस्थित आई तथा अपहृता ने बताया कि मैने एक मोबाईल फोन खरीद लिया था जिसका पता मेरे घर मे चल गया था। मुझे लगा कि मेरे पिताजी जी मुझे डांटेंगे तो मैं पिताजी जी के डांटने के डर से बिना किसी को बताये अपना मोबाईल घर पर ही छोडकर अपने कपडे लेकर स्वर्ण मन्दिर अमृतसर चली गयी थी, वहीं लंगर मे खाना खाती रही। मुझे घर वालों की याद आयी तो मैं आज अपने घर वापस आ गयी हूं। अपहृता का कथन आदि अंकित कर अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नगीना दिनांक – 19.06.2024

थाना नगीना पुलिस ने मु0अ0सं0 179/2024 धारा 323/307/452/506 भादवि मे वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 18.06.2024 को वादी श्री सईद पुत्र मेहबान निवासी ग्राम नारंगी चक थाना नगीना जनपद बिजनौर ने थाना नगीना पर तहरीर दी कि दिनांक 16.06.2024 को अभियुक्तगण 1.मुस्तकीम पुत्र सरफुद्दीन 2.सरफुद्दीन पुत्र नामालूम निवासीगण ग्राम नारंगी चक थाना नगीना जनपद बिजनौर द्वारा घर में घुसकर जान से मारने की नियत से वादी के पुत्र नसीम, पुत्री सलमा व पत्नी समर जहाँ के साथ मारपीट की गयी। तहरीर के आधार पर थाना नगीना पर मु0अ0सं0 179/2024 धारा 323/307/452/506 भादवि बनाम मुस्तकीम व सरफुद्दीन उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना नगीना पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त मुस्तकीम पुत्र सरफुद्दीन निवासी ग्राम नारंगी चक थाना नगीना जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

मुस्तकीम पुत्र सरफुद्दीन निवासी ग्राम नारंगी चक थाना नगीना जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री रामचन्द्र सिंह थाना नगीना जनपद बिजनौर

2.हे0कां0 808 बिजेन्द्र कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर

3.हे0कां0 838 कुलवन्त सिंह थाना नगीना जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नजीबाबाद **दिनांक – 19.06.2024**

थाना नजीबाबाद पुलिस ने मु0अ0सं0 322/2024 धारा 147/148/149/452/307/504/506/325 भादवि में वांछित 04 अभियुक्तों को घटना में प्रयुक्त फरसा सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 18.06.2024 को वादी श्री गुलाम नबी पुत्र सुक्खे शाह निवासी ग्राम समीपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ने थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी कि रास्ते से गाडी हटाने को लेकर अभियुक्तगण 1.जाबिर पुत्र नामालूम 2. सलमान 3.फरमान 4.उस्मान पुत्रगण जाबिर 5.नसीम पुत्र शरीफ 6.शमीम 7.काला 8.फज्जू पुत्रगण नसीम निवासीगण ग्राम समीपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर द्वारा वादी के घर में घुसकर वादी व वादी के भाई नजर अली, राशिद व पत्नी राबिया के साथ गाली–गलौच करते हुए धारदार हथियारों से जान से मारने की नियत से मारपीट की गयी, जिसमे वादी की पत्नी राबिया का हाथ टूट गया तथा अन्य सदस्यों को चोटें आयी। तहरीर के आधार पर थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 322/2024 धारा 147/148/149/452/307/504/506/325 भादवि बनाम जाबिर आदि उपरोक्त कुल 08 नफर पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 322/2024 धारा 147/148/149/452/307/504/506/325 भादवि के वांछित अभियुक्तगण 1.फरमान पुत्र जाबिर 2.नसीम पुत्र शरीफ 3.काला उर्फ मुकीम व 4.फज्जू उर्फ फैजान पुत्रगण नसीम निवासी गण ग्राम समीपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक फरसा बरामद किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.फरमान पुत्र जाबिर निवासी ग्राम समीपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
2.नसीम पुत्र शरीफ निवासी ग्राम समीपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
3.काला उर्फ मुकीम पुत्र नसीम निवासी ग्राम समीपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
4.फज्जू उर्फ फैजान पुत्र नसीम निवासी ग्राम समीपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

बरामदगी –

घटना में प्रयुक्त फरसा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1-उ0नि0 मौ0 कय्यूम थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

2-हे0कां0 614 सहदेव थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

3-कां0 2043 रोहित चौधरी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

4-कां0 2086 सीताराम थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

5-कां0 765 मेनपाल थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

6-कां0 2471 सचिन कुमार थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- जनपद बिजनौर **दिनांकः- 19.06.2024**

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में थाना नजीबाबाद पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा एनडीपीएस एक्ट से संबंधित अभियुक्त को 01 वर्ष 06 माह के कठोर कारावास व 2,000/- रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाहीः-

अवगत कराना है कि दिनांक 22.08.2019 को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा अभियुक्त इंतजार पुत्र अय्यूब निवासी ग्राम कल्हेडी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को 300 नशीली गोलियों सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 437/19 धारा 8B/22 एनडीपीएस एक्ट बनाम इंतजार उपरोक्त पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 19.06.2024 को मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश-IV, बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 437/19 धारा 8B/22 एनडीपीएस एक्ट से संबंधित अभियुक्त इंतजार पुत्र अय्यूब निवासी ग्राम कल्हेडी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को 01 वर्ष 06 माह के कठोर कारावास व 2,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पताः-

1- इन्तजार पुत्र अय्यूब निवासी ग्राम कल्हेडी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना कोतवाली शहर **दिनांक 19.06.2024**

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों को दो अवैध चाकू सहित किया गया गिरफ्तार।

कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्रों के निर्माण/बिक्री/परिवहन तथा अपने साथ अवैध शस्त्रों को रखने वाले अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 19.06.2024 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों विशाल पुत्र रामपाल निवासी ग्राम सल्लापुर थाना हल्दौर जनपद बिजनौर व कपिल पुत्र पप्पू निवासी मौहल्ला जाटान कस्बा व थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को 01-01 अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 537/2024 धारा 4/25 आयुध अधिनियम बनाम विशाल व कपिल उपरोक्त पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम व पता :–

1.विशाल पुत्र रामपाल निवासी ग्राम सल्लापुर थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

2.कपिल पुत्र पप्पू निवासी मौहल्ला जाटान कस्बा व थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

बरामदगी का विवरणः-

02 अवैध चाकू।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 राजीव कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
2. का0 1475 अश्वनी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नगीना देहात **दिनांक – 19.06.2024**

थाना नगीना देहात पुलिस ने मु0अ0सं0 120/24 धारा 354/376 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 04.06.2024 को वादी द्वारा थाना नगीना देहात पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्त विकुल पुत्र बाबू निवासी जलालपुर सुल्तान थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ने वादी की पुत्री के साथ गलत नियत से छेडछाड की गयी। तहरीर के आधार पर थाना नगीना देहात पर मु0अ0सं0 120/24 धारा 354 भादवि पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 376 भादवि की वृद्धि की गयी।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 120/24 धारा 354/376 भादवि में वांछित अभियुक्त विकुल पुत्र बाबू निवासी जलालपुर सुल्तान थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

विकुल पुत्र बाबू निवासी जलालपुर सुल्तान थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 सतीश कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर

2.उ0नि0 प्रशिक्षु राहुल कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर

3.हे0कां0 633 रविन्द्र कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर

4.हे0कां0 537 सुनील मलिक थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर

5.कां0 20 आशीष धामा थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर दिनांक – 19.06.2024

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने अभियुक्त को एक अवैध चाकू सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही –

अवगत कराना है कि आज दिनांक 19.06.2024 थाना कोतवाली शहर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि जिला अस्पताल, बिजनौर परिसर में एक व्यक्ति मोबाईल चोरी करने का प्रयास कर रहा था, जिसको जनता के व्यक्तियों नें मौके पर ही पकड रखा है। सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर उक्त व्यक्ति को पुलिस हिरासत में लिया गया। पूछताछ में उक्त व्यक्ति ने अपना नाम नाजिम पुत्र कमरूद्दीन निवासी मौ0 बुखारा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर बताया। तलाशी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद किया गया। इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 542/2024 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम नाजिम उपरोक्त पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

नाजिम पुत्र कमरूद्दीन निवासी मौ0 बुखारा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

एक अवैध चाकू

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. कां0 1577 सौरभ खारी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
2. कां0 1599 गौरव थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना धामपुर **दिनांक 19.06.2024**

थाना धामपुर पुलिस ने वांरटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाहीः-

जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांरटी / वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 19.06.2024 को थाना धामपुर पुलिस द्वारा वांरटी अभियुक्त विरेन्द्र सिंह पुत्र केवल सिंह निवासी ग्राम सरकथल माधौ उर्फ मौज्जमपुर सूरज थाना धामपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

विरेन्द्र सिंह पुत्र केवल सिंह निवासी ग्राम सरकथल माधौ उर्फ मौज्जमपुर सूरज थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 सोहन सिंह पुण्डीर थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
2. हे0का0 578 अमजद खान थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नगीना देहात **दिनांक – 19.06.2024**

थाना नगीना देहात पुलिस ने मु0अ0सं0 128/2024 धारा 354/452/504 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 14.06.2024 को वादी द्वारा थाना नगीना देहात पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्त रोहित पुत्र छोटे निवासी ग्राम समसपुर नसीब थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर द्वारा वादी की पुत्री के साथ अश्लील हरकत कर परिजनों के साथ गाली-गलौच की गयी। तहरीर के आधार पर थाना नगीना देहात पर मु0अ0सं0 128/2024 धारा 354/452/504 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट बनाम रोहित उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 19.06.2024 को थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त रोहित पुत्र छोटे निवासी ग्राम समसपुर नसीब थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

रोहित पुत्र छोटे निवासी ग्राम समसपुर नसीब थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 मनोज कुमार शर्मा थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।
2. हे0का0 737 सुभाष थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नगीना देहात **दिनांक – 19.06.2024**

थाना नगीना देहात पुलिस ने मु0अ0सं0 131/2024 धारा 376/452 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 16.06.2024 को वादिनी द्वारा थाना नगीना देहात पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्त संजीव पुत्र सुरेश निवासी ग्राम सुन्दरवाली थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर द्वारा घर में घुसकर वादिनी के साथ गलत काम किया गया। तहरीर के आधार पर थाना नगीना देहात पर मु0अ0सं0 131/2024 धारा 376/452 भादवि बनाम संजीव उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 19.06.2024 को थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त संजीव पुत्र सुरेश निवासी ग्राम सुन्दरवाली थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

संजीव पुत्र सुरेश निवासी ग्राम सुन्दरवाली थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्रीपाल सिंह थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।
2. हे0का0 141 हरमीत सिंह थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।
3. हे0का0 134 सौरभ कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना चांदपुर **दिनांक – 19.06.2024**

थाना चांदपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 299/24 धारा 304/34 भादवि में वांछित अभियुक्त को घटना मे प्रयुक्त मोटरसाईकिल के सायलेन्सर सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

अवगत कराना है कि दिनांक 16.06.2024 को वादी श्री आरिफ पुत्र साकिर निवासी रसूलपुर नंगला थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि दिनांक 15.06.2024 की रात्रि करीब 10:00 बजे वादी के भाई आदिल (उम्र 23 वर्ष) की गांव रसूलपुर नंगला के ही सद्दाम पुत्र शौकत के साथ पैसे के लेनदेन को लेकर कहासुनी हो गई थी। जिसमें सद्दाम उपरोक्त ने लोहे के पाइप से अपने चचेरे भाई आदिल के सिर पर वार किया, जिससे आदिल गम्भीर रुप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्याऊ में भर्ती कराया गया, जहां आदिल की मृत्यु हो गयी।

तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 299/24 धारा 304 भादवि बनाम सद्दाम उपरोक्त पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियुक्त जावेद पुत्र शौकत निवासी ग्राम रसूलपुर नंगला थाना चांदपुर जनपद बिजनौर का नाम भी प्रकाश मे आया तथा अभियोग मे धारा 34 भादवि की वृद्धि की गयी।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना चांदपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 299/24 धारा 304/34 भादवि में वांछित अभियुक्त सद्दाम पुत्र शौकत निवासी ग्राम रसूलपुर नंगला थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना मे प्रयुक्त मोटरसाईकिल का सायलेन्सर बरामद किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सद्दाम पुत्र शौकत निवासी ग्राम रसूलपुर नंगला थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

घटना मे प्रयुक्त मोटरसाईकिल का सायलेन्सर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री संजीव कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
2.कां0 1905 जगदीश कुंमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
3.कां0 1093 नवनीत कौशिक थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना चांदपुर **दिनांक – 19.06.2024**

थाना चांदपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 258/2024 धारा 323/325/307/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 27.05.2024 को वादिनी श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी कमल सिंह निवासी ग्राम मदारीपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.कल्याण पुत्र अतर सिंह 2.सोनू पुत्र कल्याण सिंह निवासीगण ग्राम मदारीपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादिनी व वादिनी के पति के साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट की गयी तथा वादिनी के ऊपर जान से मारने की नीयत से लोहे की रोड से वार किया गया, जिससे वह गम्भीर रुप से घायल हो गयी एवं जान से मारने की धमकी दी। तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 258/2024 धारा 323/325/307/504/506 भादवि बनाम कल्याण व सोनू उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 19.06.2024 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त सोनू पुत्र कल्याण सिंह निवासी ग्राम मदारीपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त कल्याण की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सोनू पुत्र कल्याण सिंह निवासी ग्राम मदारीपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1.उ0नि0 जुगेन्द्र तेवतिया थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

2.कां0 865 धन सिंह मलिक थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

3 कां0 2341 मौ0 सिराज थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना नांगल **दिनांक 19.06.2024**

थाना नांगल पुलिस ने 02 वांरटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

कार्यवाहीः-

जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांरटी / वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 19.06.2024 को थाना नांगल पुलिस द्वारा 02 वांरटी अभियुक्तों सुभाष पुत्र कलवा व सुनील पुत्र कलवा निवासीगण ग्राम व थाना नांगल जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम व पताः-

1. सुभाष पुत्र कलवा निवासी ग्राम व थाना नांगल जनपद बिजनौर।
2. सुनील पुत्र कलवा निवासी ग्राम व थाना नांगल जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 देवदत्त गौड थाना नांगल जनपद बिजनौर।
2. हे0का0 849 बहोरन सिंह थाना नांगल जनपद बिजनौर।
3. का0 2570 रितेश थाना नांगल जनपद बिजनौर।